

न्यायालय उप जिलाधिकारी/ सहायक मन्से प्रथम श्रेणी खैर अलीगढ़ ।

वाद संख्या 75

अं धरा 143 ज०वि०अधि०

पूनाम गौड़

मनाम रातनार

गौजा मानपुर कलां पर० व तह०खैर अलीगढ़

आदेश

परस्तुत वाद तहसीलदार खैर की आख्या विनांक 07/07/2019 के आधार पर जमींदारी विनाश एवं भू० व्यव०अधि० धारा 143 के अन्तर्गत गोजित हुआ । तहसीलदार ने अपनी आख्या में उल्लेखित विन्गा है गौजा मानपुर कलां पर० व तह० खैर के खाता संख्या 109 व 110 के गाटा संख्या क्रमशः 174/0-565, 172/2/0-127 हे० मे रक्का 0-114, 0-220 हे०, व गाटा संख्या 175/0-124 हे०, मे गाटा संख्या 96 रक्का 0-096 हे० व गाटा संख्या 173/0-334 हे० व गाटा संख्या 180 रक्का 0-187 कुल रक्का 0-951 के सामग्रीय भूमिधर सावित्री देवी शिक्षा समिति प्रबन्धक पूनाम गौड़ पत्नी श्री विनोद गौड़ नि० ग्राम मानपुर कलां है उक्त भूमि गौके पर आबादी निर्मित है जिसे जमींदारी विनाश एवं भू०व्यव०अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत आबादी घोषित विन्गे जाने हेतु अनुरोध किया है ।

अतः तहसीलदार की आख्या के आधार पर गौजा मानपुर कलां पर० व तह० खैर के खाता संख्या 109 व 110 के गाटा संख्या क्रमशः 174/0-565, 172/2/0-127 हे० मे रक्का 0-114, 0-220 हे०, व गाटा संख्या 175/0-124 हे०, मे गाटा संख्या 96 रक्का 0-096 हे० व गाटा संख्या 173/0-334 हे० व गाटा संख्या 180 रक्का 0-187 कुल रक्का 0-951 मालगुजारी मुताबिक 60 ख को जमींदार ने विनाश एवं मध्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत एवं नियम 135 के अधीन मालगुजारी से मुक्त करते हुए आबादी घोषित की जाती है । पत्रावलीवाद एवं कार्यवाही दा० दफ्तर की जावे ।

उपजिलाधिकारी/
सहा०कले०प्र०श्रेणी
खैर

प्रतिलिपि-

तहसीलदार खैर को इस आशय से कृपया उक्त आदेश का अमल राजस्व अभिलेखों में कराना सुनिश्चित करें ।

उपनिबन्धक खैर को इस आशय से कृपया उक्त आदेश का अमल राजस्व अभिलेखों में कराना सुनिश्चित करें ।

सचिव 21/4/19
प्रबन्धक

एस० एस० कालेज ऑफ फार्मसी
मानपुर कलां खैर (अलीगढ़)

सावित्री देवी शिक्षा समिति
मानपुर कलां खैर (अलीगढ़)

Manager
S. S. College of Pharmacy
Khair, Aligarh



उपजिलाधिकारी/सहा०कले०प्र०श्रेणी
खैर

